



राज्य ललित कला अकादमी, उ०प्र०  
yky ckjknjh Hkou  
fudV& gkbzdkV] yfyr dyk vdkneh ekx] y[kuA&226001  
njHkk"K% 2628453 QDI % 0522&2628453

## पुस्तकालय नियमावली

समय : प्रातः 10 से सायं 5.00 बजे

शुल्क : प्रतिभूति रु० 1000/-

वार्षिक सदस्यता : रु० 200/-

1. कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, पुस्तकालय में प्रवेश के योग्य है। असंयत दिमाग, शराबी या जीर्ण वस्त्र धारण करने वाले आगंतुक का प्रवेश निषेध किया जा सकता है। इस संदर्भ में पुस्तकालयाध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति की स्थिति में सचिव का निर्णय ही अंतिम होगा।
2. पुस्तकालय द्वारा विहित नियमों के प्रतिपालन की प्रतिबद्धतास्वरूप पुस्तकालय में प्रवेश से पूर्व मुख्यालय पर रखी पंजिका में हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।
3. पुस्तकालय नियमों के अनुसार नोटबुक तथा मनी बैग के अतिरिक्त किसी प्रकार की व्यक्तिगत सामग्री पुस्तकालय में नहीं लायी जानी चाहिये।
4. पुस्तकालय में शांति का वातावरण बनाए रखना प्रत्येक अध्येता के लिए आवश्यक है।
5. पुस्तकालय में धूमपान करना सर्वथा निषिद्ध है।
6. पुस्तकालय में किसी को सोने की अनुमति नहीं है। पुस्तकालय नियमों की अवहेलना करने वाले अध्येता को पुस्तकालय सेवाओं से वंचित किया जा सकता है अथवा उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।
7. बिना कारण बताये किसी भी ग्रंथ का विवरण रोका जा सकता है।
8. अध्येता को संयत आचरण का व्यवहार करना आवश्यक है। नियमों तथा व्यवस्थाओं का पालन न करने पर पुस्तकालयाध्यक्ष किसी भी अध्येता को पुस्तकालय कक्ष से बाहर जाने का आदेश दे सकता है।
9. पुस्तकों को तथा पुस्तकालय की किसी भी सम्पत्ति को नष्ट करने वाला सामान्य अथवा आर्थिक दण्ड का पात्र होगा।
10. सदस्यों को ही पाठक प्रवेश पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
11. पाठक प्रवेश-पत्र खो जाने पर पुस्तकालय को सूचित करना आवश्यक होगा। डुप्लीकेट प्रवेश-पत्र की प्राप्ति के लिये रु० 20/- (रुपये बीस) मात्र जमा करना होगा।
12. अध्येता द्वारा किसी पुस्तक के कट-फट जाने अथवा खो जाने पर पुस्तक की प्रतिपूर्ति की जायेगी। एक खण्ड की प्रतिपूर्ति के लिए कहा जा सकता है।
13. सभी प्रकार की संदर्भ सामग्री सचिव की स्वीकृति के बिना निर्गत नहीं की जायेगी।
14. किसी पुस्तक को निर्गत करने अथवा निर्गत पुस्तक को बिना कारण बताए वापस मांगने हेतु पुस्तकालयाध्यक्ष सक्षम है।
15. पुस्तकालय में पुस्तक प्रदायन कार्यालय समय के आधे घंटे पहले से रोक दिया जायेगा ताकि विषयानुक्रम में पुनः पुस्तकीय व्यवस्थापन का कार्य किया जा सके।
16. पुस्तकालय सदस्यता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।
17. विशेष परिस्थितियों में सचिव, राज्य ललित कला अकादमी, उ०प्र० किसी भी व्यक्ति को पुस्तकीय सामग्री प्राप्त करने के लिए अनुमति दे सकते हैं।

सचिव  
राज्य ललित कला अकादमी, उ०प्र०  
लाल बारादरी भवन, लखनऊ

राज्य ललित कला अकादमी, उ०प्र०  
लाल बारादरी भवन  
निकट— हाईकोर्ट, ललित कला अकादमी मार्ग, लखनऊ—226001

पुस्तकालय सदस्यता फार्म

कार्यालय के लिये

दिनांक.....

कार्ड संख्या.....

प्रार्थी द्वारा :

मैं अधोहस्ताक्षरी राज्य ललित कला अकादमी, लाल बारादरी भवन, लखनऊ में पुस्तकें प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहा /रही हूँ। मैं पुस्तकालय के सभी नियमों का पालन करूंगा/करूंगी ।

पूरा नाम :.....

व्यवसाय :.....

वर्तमान पता :.....

स्थायी पता :.....

फोन नं० :.....मो० नं०.....

आवेदक के हस्ताक्षर

राजपत्रित अधिकारी/प्रधानाचार्य का संस्तुति प्रमाण-पत्र

मैं कु०/श्री/श्रीमती..... को व्यक्तिगत रूप से जानता/जानती हूँ। पुस्तकालय की सदस्यता के लिए इनकी संस्तुति कर रहा हूँ/रही हूँ ।

1. हस्ताक्षर एवं मुहर

2. हस्ताक्षर एवं मुहर

पुस्तकालयाध्यक्ष

कृपया कु०/श्री/श्रीमती..... को अकादमी पुस्तकालय की सदस्य सूची में पंजीकृत कर लें ।

सचिव  
राज्य ललित कला अकादमी, उ०प्र०

कु०/श्री/श्रीमती..... को अकादमी पुस्तकालय की सदस्य सूची में पंजीकृत किया गया ।

पुस्तकालयाध्यक्ष  
राज्य ललित कला अकादमी, उ०प्र०

